झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

झारखण्ड राज्य अवस्थित मॉडल विद्यालयों में वर्ष 2015 के लिए नामांकन प्रवेश परीक्षा से संबंधित आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 22/2015

प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग के पत्रांक 466 दिनांक 01.03.2012, 1791 दिनांक 06.07.2012 एवं झारखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पत्रांक 53 दिनांक 05.05.2014 के आलोक में एतद् द्वारा सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक/क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक/अभिभावक एवं छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि राज्य में अवस्थित कुल 89 मॉडल विद्यालयों में नामांकन हेतु छात्र/छात्राओं से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। सभी मॉडल विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से संचालित होंगे तथा पूर्णत: गैर–आवासीय होंगे:–

1. **आवेदक की पात्रता:** (क)आवेदक झारखण्ड राज्य के किसी भी कोटि के विद्यालय से वर्ग V(पाँच) उत्तीर्ण हो । (ख) दिनांक 01, अप्रैल 2015 को न्यूनतम आयु 10(दस) वर्ष एवं अधिकतम 12(बारह) वर्ष होना चाहिए। (ग)संबंधित प्रखण्ड के निवासी तथा प्रखण्ड के किसी कोटि के विद्यालय से वर्ग–V(पाँच) उत्तीर्ण छात्र–छात्रा आवेदक के पात्र होंगे।
2. **परीक्षा शुल्क:** यह परीक्षा पूर्णत: नि:शुल्क है। इसमें आवेदन–प्रपत्र एवं परीक्षा देने हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है।
3. **आवेदन-प्रपत्र:**
   - ✻ आवेदन–प्रपत्र संबंधित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय से या प्रखण्ड के किसी भी संकुल संसाधन केन्द्र से दिनांक 11.05.2015 से 23.05.2015 तक नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
   - ✻ पूर्णरूपेण भरा हुआ आवेदन दो प्रतियों (खण्डों) में एवं एक प्रति में प्रवेश–पत्र संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय में या संकुल संसाधन केन्द्र में जहाँ से आवेदन–प्रपत्र प्राप्त किया गया है, हाथों–हाथ जमा कराया जाएगा ।
   - ✻ आवेदन–प्रपत्र एवं प्रवेश–पत्र पर नया पासपोर्ट साइज का फोटो, जो स्वअभिप्रमाणित हो, निर्धारित स्थान पर चिपकाया जाना है।
   - ✻ आवेदन–प्रपत्र छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं या उनके अभिभावक द्वारा साफ–साफ अक्षरों में भरा जायेगा।
   - ✻ आवेदन–प्रपत्र संबंधित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय में प्राप्त करने एवं भरा हुआ आवेदन जमा करने की तिथि 30.05.2015 निर्धारित किया गया है। विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। साथ ही साथ विभिन्न प्रखण्डों से प्राप्त आवेदनों की सामेकित सूची विहित प्रपत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि 05.06.2015 है।
4. **नामांकन:** मॉडल विद्यालयों में नामांकन मेधा सूची के आधार पर वर्ग VI(छठा) में होगा। मेधा का निर्धारण लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।

   नामांकन में राज्य के जिला स्तरीय आरक्षण नीति का अनुपालन किया जायेगा। एक विद्यालय में कुल 40(चालीस) छात्र/छात्राओं का नामांकन होगा।

   आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा अपने आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करेंगे।
5. **परीक्षा का विषय:**
   (क) अंग्रेजी – 30 अंक
   (ख) गणित – 30 अंक
   (ग) सामाजिक विज्ञान– 40 अंक
   कुल – 100 अंक
6. **परीक्षा केन्द्र:** संबंधित प्रखण्ड का प्रखण्ड मुख्यालय के चयनित विद्यालय में होगा।
7. **परीक्षा की तिथि:** दिनांक 23.06.2015(दिन मंगलवार) पूर्वाह्न 10:00 बजे से 12:00 बजे तक।
8. **जिला के प्रखण्डों की सूची जहाँ वर्त्तमान में नामांकन किया जायेगा**

क्र.सं.	जिला का नाम	जिला कोड	प्रखण्ड का नाम	प्रखण्ड कोड
01	RANCHI	01	BERO	01
			BURHMU(MURMA)	02
			KANKE(SUKURHUTU)	03
			NAMKUM(HADIDAG)	04
			LAPUNG(GARAI)	05
			ANGARA(BEDWARI)	06
			MANDAR (GUDGUDJARI)	07
			CHANHO (SOPARAM)	08
02	GUMLA	02	BISHUNPUR	01
			GHAGHRA	02
			BHARNO	03
			KAMDARA	04
			BASIA	05
			GUMLA	06
			RAIDIH	07
			PALKOT	08
03	LOHARDAGA	03	KISKO	01
			BHANDRA	02
04	SIMDEGA	04	JALDEGA	01
			SIMDEGA	02
			KURDEG	03
			KOLEBIRA	04
			BANO	05
05	KHUNTI	05	ERKI(TAMAR II)	01
			KARRA	02
			KHUNTI	03
06	HAZARIBAGH	06	BARKATHA	01
			CHAUPARAN	02
			ICHAK	03
			BARHI	04
			BISHUNGARH	05
07	GIRIDIH	07	TISRI	01
			GAWAN	02
			BAGODAR	03
			GANDEY	04
			BIRNI	05
			DEWRI	06
			DHANWAR	07
			GIRIDIH (SADAR)	08
			BENGABAD	09
			DUMRI (BALTHARIYA)	10
			PIRTANR	11
08	DHANBAD	08	TUNDI	01
			GOVINDPUR	02
09	KODERMA	09	MARKACCHO	01
			JAINAGAR	02
			KODERMA	03
10	CHATRA	10	KUNDA	01
			LAWALAUNG	02
11	LATEHAR	11	MANIKA	01
			BALUMATH	02
			BARWADIH	03
12	DUMKA	12	JARMUNDI	01
			RANESHWAR	02
			SHIKARIPARA	03
			MASALIYA	04
			SARIYAHAT	05
			RAMGARH	06
13	SAHEBGANJ	13	BORIO	01
			BARHET	02
			MANDRO	03
			TALJHARI	04
			PATNA	05
			RAJMAHAL	06
			UDWHA	07
14	PAKUR	14	LITTIPARA	01
			PAKUR	02
			AMDAPADA	03
15	GODDA	15	POREYAHAT	01
			GODDA	02
			SUNDARPAHARI	03
			BOARIJORE	04
16	EAST SINGHBHUM	16	DUMARIA	01
			GHATSILA	02
			DHALBHUMGARH	03
			CHAKULIYA	04
			BAHRAGORA	05
			PATMADA	06
17	WEST SINGHBHUM	17	MANOHARPUR	01
			JHINKPANI	02
			JAGARNATHPUR	03
			TANTNAGAR	04
			TONTO	05
			SONUA	06
18	SERAIKELA	18	ICHAGARH	01
			NIMDIH	02
			SERAIKELA	03
			KHARSAWAN	04
			KUCHAI	05

अन्य विवरण: जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक/क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/समन्वयक, संकुल संसाधन केन्द्र को निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा/आवेदन–प्रपत्र का वितरण हेतु विज्ञप्ति के आलोक में गुरूगोष्ठी आदि के माध्यम से विशेष प्रचार–प्रसार करेंगे ताकि अधिक से अधिक संख्या में छात्र/छात्राएँ परीक्षा में शामिल हो सकें।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-
(मोहन चांद मुकिम)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मॉडल/192/15/SECY/152/15
Dt. 07.05.15
D.O.P : 08.05.15